



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31082024-256809  
CG-DL-E-31082024-256809

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3370]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 29, 2024/भाद्र 7, 1946

No. 3370]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 29, 2024/BHADRA 7, 1946

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2024

का.आ. 3699(अ).—पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, गुजरात राज्य में मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की दाहेज - कोयली आर एलएनजी पाइपलाइन के लिये पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत श्री शिवम अग्निहोत्री, वरिष्ठ परिचालन प्रबंधक, मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), पश्चिमी क्षेत्र पाइपलाइन्स, राजकोट को श्री पी.वी. मेहता, उप प्रबंधक (संचालन), मैसर्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), पश्चिमी क्षेत्र पाइपलाइन्स के स्थान पर सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिये प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. एल-14014/5/2021-जीपी-II (ई-47655)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th August, 2024

**S.O. 3699(E).**— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Shivam Agnihotri, Senior Operations Manager, M/s. Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Western Region Pipelines, Rajkot in place of Shri P.V. Mehta, Deputy Manager (Operations), M/s. Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Western Region Pipelines to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for Dahej - Koyali R LNG Pipeline of M/s. Indian Oil Corporation Limited in the State of Gujarat.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. L-14014/5/2021-GP-II (E-47655)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.